संलग्नक - 3

‘स्वैच्छिक आचार संहिता’, दिनांक 20 मार्च 2019:

1) जहां तक उपयुक्त और संभव हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागी अपने उत्पादों और/या सेवाओं पर चुनावी सामग्री के बारे में जानकारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे।

2) प्रतिभागी चुनावी कानूनों और अन्य संबंधित निर्देशों सहित जागरूकता पैदा करने के लिए स्वेच्छा से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू करने का प्रयास करेंगे। प्रतिभागी उत्पादों/सेवाओं पर ईसीआई के नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण देने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध भेजने की व्यवस्था भी शामिल है।

3) प्रतिभागियों और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक अधिसूचना तंत्र विकसित किया है जिसके द्वारा ईसीआई, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के संभावित उल्लंघनों और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य लागू चुनावी कानूनों के प्रासंगिक प्लेटफार्मों को अधिसूचित कर सकता है। सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार धारा 126 के तहत किसी भी तरह के उल्लं घन के बारे में जानकारी मिलने के 3 घंटे के भीतर इन वैध कानूनी आदेशों को माना जाएगा और/अथवा प्रोसेसिंग की जाएगी। संबंधित उल्लं घन के स्वरूप को ध्याएन में रखते हुए प्रतिभागियों द्वारा सभी अन्यी वैध कानूनी अनुरोधों पर त्वनरित कार्रवाई की जाएगी।

4) प्रतिभागी ईसीआई के लिए उच्च प्राथमिकता वाले समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र का निर्माण/कार्यान्वयन कर रहे हैं और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बाद ईसीआई से इस तरह के वैध अनुरोध प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने में सहायता के लिए आवश्यक जानकारियों के आदान-प्रदान हेतु आम चुनावों की अवधि के दौरान समर्पित व्यक्तियों की नियुक्ति/टीमों का गठन करते हैं।

5) प्रतिभागियों को कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार, प्रासंगिक राजनीतिक विज्ञापनदाताओं के लिए एक व्यवस्था प्रदान की जाएगी, कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार, असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों को चुनाव विज्ञापनों के संबंध में ईसीआई और ईसीआई के मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा जारी किए गए पूर्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, जिन विज्ञापनों के लिए किसी प्रमाणन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पेड विज्ञापन जिन्हें ईसीआई ने वैध तरीके से प्रतिभागियों के लिए अधिसूचित किया है, उन्हें प्रतिभागी शीघ्र अति शीघ्र प्रकाशित करेंगे।

6) भाग लेने वाले सोशल मीडिया मंच ऐसे विज्ञापनों के लिए पहले से मौजूद अपने लेबस्ई/प्रकटीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने सहित पेड राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7) इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के माध्यम से प्रतिभागियों को ईसीआई से प्राप्त वैध अनुरोध प्राप्त होने पर प्रतिभागी अपने-अपने प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

8) आईएएमएआई इस संहिता के तहत उठाये गये कदमों पर प्रतिभागियों के साथ समन्वय करेगा और आईएएमएआई के साथ-साथ प्रतिभागी भी चुनाव अवधि के दौरान ईसीआई के साथ निरंतर संचार जारी रखेंगे।